हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29.11.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने पर निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

प्रार्थना पत्र सं– 65/2022

बउनवान गंगाराम बनाम लालू वगै0

निर्णय

संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थिगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 21 रकबा 0.31है0 वाके ग्राम संग्रामगंज पटवार हल्का बोहरियागांव तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है इसका खातेदार टीनेन्ट कालू मीणा था जिसका देहान्त हो चुका है और देहान्त के पश्चात फौती इन्तकाल उसके तीनों पुत्र गंगाराम, श्रीराम, लालु एक पुत्री हीरा के नाम अंकित कर दिया गया जो गलत है क्योंकि हीरा बाई का नाम रिकार्ड में नहीं आना चाहिये तथा पुत्री हीरा की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद फौती इन्तकाल उसके लड़का भजनलाल के नाम खुला है जो गलत व अवैध है क्योंकि पक्षकार जाति से मीणा है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है तथा पुराना हिन्दू लॉ लागू होता है अर्थात मृतक खातेदार के पुत्र है तो पुत्रियां का कोई हक एवं अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार मृतक कालु के तीनो पुत्रों का नाम खाता में आयेगा। इस प्रकार खाते में केवल पुत्रों का ही नाम रहेगा तथा मृतक पुत्री हीरा बाई का नाम इसके बाद अंकित इसके पुत्र भजनलाल का नाम हटेगा। वादीगण का 2/3हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 ता0 2 की तरफ जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि कालू लाल की कृषि भूमि पर पुत्री हीरा बाई तथा हीरा बाई की मृत्यु के पश्चात भजन लाल आ0 गोपी लाल के नाम इन्तकाल खुला है उक्त इन्तकाल खोलते समय प्रार्थिगण व अप्रार्थी सं 1 ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। कालूलाल के मरण उपरान्त श्रीमति हीरा बाई का लगभग 50वर्ष तक उक्त भूमि पर अप्रार्थिगण का कब्जा बदस्तूर शांति पूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थिगण को अप्रार्थी सं 2 का नाम विलोपित किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्त में निवेदन किया गया कि प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली बहस में नियत की गयी।

पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी वाद विषयक आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उभयपक्ष की सहमति होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 20 रकबा 0.04है0, खसरा संख्या 21 रकबा 1.30है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.34है0 वाके ग्राम संग्रामगंज पटवार हल्का बोहरियागांव तहसील इन्द्रगढ़ पर उभयपक्षकारान को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त कृषि भूमि की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे पत्रावली फैसल होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)